



न्यायालय में श्रा मान सदस्य महोदय राजस्व मण्डल

रवालियर (मो प्र०)

II/अपील/शहडोल/भू.का/2017/1772

श्री राजस्व
 द्वारा आज दि 15-6-17
 प्रस्तुत
 वल्के 12 वर्ष
 तहसील मण्डल

मो० जुबैर पिता मो० जलालूददीन उम्र 60 वर्ष निवासी ग्राम खैरहा

तहसील बुढार जिला शहडोल मो प्र० - - - - - अपीलार्थी

बनाम

- 1- मानधाता सिंह पिता इन्द्र बहादुर सिंह मृत वारिसान
- 1- रघुनंदन सिंह पिता स्व० मानधाता सिंह निवासी ग्राम खैरहा तहसील
बुढार जिला शहडोल मो प०
- 2- रतना सिंह पिता स्व० श्री मानधाता सिंह निवासी ग्राम खैरहा तहसील
बुढार जिला शहडोल मो प०
- 3- श्रीमती वसुंधरा सिंह पिता स्व० श्री मानधाता सिंह निवासी ग्राम खैरहा
तहसील बुढार जिला शहडोल मो प०
- 4- श्रीमती मीरा सिंह पत्नी स्व० श्री मानधाता सिंह निवासी ग्राम खैरहा
तहसील बुढार जिला शहडोल
- 5- मो प० शासन - - - - - - - - - - उत्तरार्थीगण

अपील अंतर्गत धारा 41 मध्य प्रदेश कृषि
जोत उच्च सीमा अधिनियम 1960

अपील विरुद्ध श्री मान अपर कमिशनर संभाग
शहोल के प्रकरण कमॉक 02/बी-90(3) /
2015-2106 आदेश दिनांक 11/3/2016, २८/५/१८

मान्यवर:

प्रार्थी/ अपीलार्थी अपील प्रस्तुत कर विनय करता है कि—

प्रकरण के तथ्य

यह कि ग्राम खैरहा तहसील बुढार स्थित आराजी खसरा कमॉक 1105, 1118 रकवा कमशः 0 43, 11 87 एकड़ आराजी अपीलार्थी के भूमिस्वामित्व कब्जे दखल कि आराजी है जिसे अपीलार्थी ने रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के माध्यम से क्य किया है। अपीलार्थी ने ग्राम खैरहा तहसील बुढार कि आराजी खसरा कमॉक 1105, 1118 रकवा कमशः 0 43, 11 87 एकड़ आराजी को दिनांक 09/12/1991 प्रतिभा कुमारी सिंह से रजिस्टर्ड

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश—गवालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ
भाग—अ

प्रकरण क्रमांक दो—अपील/शहडौल/उ.सी.अधि./2017/1972 । ७७२

स्थान दिनांक

कार्यवाही तथा आदेश

पक्षकारों एवं अभिभाषकों
आदि के हस्ताक्षर

12.10.2018

यह अपील अपर आयुक्त, शहडौल संभाग, शहडौल के प्रकरण क्रमांक 2 बी—90(3)/2015—16 में पारित आदेश दिनांक 11—3—16 के विरुद्ध मध्य प्रदेश कृषि जोत उच्चतम् सीमा अधिनियम 1960 की धारा 41 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है जिसमें सँशोधन उपरांत आदेश दिनांक 28—4—16 भी जोड़ा गया है।

2/ अपील की प्रचलनशीलता पर आवेदक के अभिभाषक के प्रारंभिक तर्क सुने तथा प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया।

3/ अपीलांट के अभिभाषक के तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अपर आयुक्त, शहडौल संभाग, शहडौल के आदेश दिनांक 11—3—16 एवं आदेश दिनांक 28—4—16 के अवलोकन पर स्थिति यह है कि रिस्पा. क्रमांक 1 से 4 के विरुद्ध प्रचलित कृषि सीलिंग प्रकरण में आदेश दिनांक 25—2—16 के संलग्न—ब में म0प्र0शासन के पक्ष में 348—19 एकड़ भूमि छोड़ी गई। शासन के पक्ष में छोड़ी गई भूमि पर धारकों द्वारा 37—03 एकड़ भूमि स्वयं के पक्ष में छोड़े जाना बताया, किन्तु प्रकरण में सँशोधित नवीन विवरणी अनुसार केवल 18—54 एकड़ भूमि रिस्पा0 ने अपने पक्ष में रखते हुये शेष 18—48 एकड़ भूमि म0प्र0शासन बनाम इन्द्र बहादुर सिंह के कृषि सीलिंग प्रकरण में शासन हित में छोड़ना माना तथा शेष रकबा 18—49 एकड़ म0प्र0 शासन बनाम मान्धन्ता सिंह के खाते में से भूमि चाही गई, जो मान ली गई। इस प्रकार मान्धन्ता सिंह के खाते में दर्शाए अनुलग्न —ब में रकबा $348.19 - 17.54 = 329.65$ एकड़ भूमि मध्य प्रदेश शासन के हित में छोड़े जाना अंकित किया गया। इस प्रकार प्रस्तावित अतिशेष घोषित भूमि का प्रस्तावित रकबा 311—16 एकड़ के बजाय 329—65 एकड़ अतिशेष घोषित होने वाली भूमि का प्रस्तावित रकबा

प्र०क० दो-अपील/शहडौल/उ.सी.अधि./2017/1972

311-16 एकड़ के स्थान पर 329-49 एकड़ अधिक हुआ, जिसके आधार पर म०प्र०शासन बनाम इन्द्र बहादुर सिंह के प्रकरण में उल्लेखित भूमि से वापिस हुई भूमि रकबा 18-49 एकड़ तथा पूर्व में अनुलग्न-ब में प्रदान की गई भूमि रकबा 1168-53 एकड़ से बढ़कर 1186-53 एकड़ भूमि मध्य प्रदेश शासन के पक्ष में दर्ज करने का आदेश हुआ है। तदनुसार अनुलग्न-अ एंव अनुलग्न-ब तथा संशोधित आदेश दिनांक 11-3-16 की प्रति कलेक्टर शहडौल/अनूपपुर तथा अनुविभागीय अधिकारी सोहागपुर/ पुष्पराजगढ़ के साथ महाप्रबंधक एसईसीएल सोहागपुर एसिया धनपुरी को भेजे जाने के दिनांक 11-3-16 को आदेश हुये हैं।

आदेश दिनांक 11-3-16 पारित होने के बाद अनावेदकगण के अभिभाषक ने धारा 32 के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत कर अनुलग्न-अ एंव अनुलग्न-ब में अंकित भूमियों में ऑशिक संशोधन की मांग रखी, जिसके आधार पर आदेश दिनांक 28-4-16 पारित किया गया तथा अनुलग्न अ में सरल कमांक 40 पर ग्राम खैरहा की बताई गई भूमि सर्वे नंबर 1004 रकबा 6-92 एकड़ में से शासन के पक्ष में 1-26 एकड़ भूमि छोड़ते हुये शेष रकबा 5-66 एकड़ भूमि धारक ने स्वयं के पक्ष में रखने तथा प्रकरण कमांक 1/ब90(3) 2015-15 में छोड़ी गई भूमि अनुलग्न-ब के सरल कमांक 143, 147 तथा 128 में बताई गई खसरा नंबर 402/2 का अंश रकबा 0.90 एकड़, 390 का अंश रकबा 0.30 एकड़ तथा 401 का अंश रकबा 0.06 एकड़ कुल किता 3 कुल रकबा 1-26 एकड़ भूमि अनावेदकगण के हित में रखने की मांग स्वीकार की गई। तदनुसार मध्य प्रदेश शासन को प्राप्त होने वाली कुल भूमि रकबा 348-19 एकड़ यथावत् रखते हुये अनावेदक को रकबा 5-66 एकड़ भूमि देना तथा शेष रकबा 1-26 एकड़ भूमि शासन के पक्ष में छोड़े जाने की मांग स्वीकार की गई, जिसमें शासन को प्राप्त होने वाला रकबा $349.19+1-26=349.45$ एकड़ यथावत् रखा गया है। भूमिधारकों (रिस्पा.क. १ से ४) की कृषि सुविधा एंव भूमिधारकों की सन्तुष्टि होने पर

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश—गवालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ
भाग—आ

प्रकरण क्रमांक दो—अपील/शहडौल/उ.सी.अधि./2017/1972

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	<p>दोनों आदेश पारित हुये हैं जिसके कारण विचाराधीन अपील में हस्तक्षेप का औचित्य नहीं है।</p> <p>4/ अपीलांट के अभिभाषक का यह भी तर्क है कि ग्राम खैरहा की भूमि सर्वे क्रमांक 1105, 1118 उसके स्वत्व की एंव कब्जे की भूमि है जिसे रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से क्य किया गया है। मध्य प्रदेश कृषि जोत उच्चतम् सीमा अधिनियम 1960 के प्रावधानों के अंतर्गत वाद विचारित भूमियॉ अधिनियम के प्रभावशील होने के दिनांक से जिस खातेदार के नाम पर दर्ज रही है उन्हीं पर अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत विचार कर एंव हितधारियों की सुनवाई हुई है एंव सुनवाई का अवसर देकर पक्षकारों की सहमति के उपरांत अपर आयुक्त, शहडौल संभाग, शहडौल ने आदेश दिनांक 11-3-16 एंव आदेश दिनांक 28-4-16 पारित किये हैं। यदि उक्तांकित भूमि पर आवेदक स्वयं का स्वत्व प्रमाणित करना चाहता है, स्वत्व के मामले के निराकरण हेतु राजस्व न्यायालय सक्षम नहीं है अपीलांट सक्षम न्यायालय से स्वत्व संबंधी विवाद का निराकरण कराने हेतु स्वतंत्र है जिसके कारण अपर आयुक्त, शहडौल संभाग, शहडौल के आदेश दिनांक 11-3-16 एंव आदेश दिनांक 28-4-16 में हस्तक्षेप की गुंजायश नहीं है।</p> <p>5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, शहडौल संभाग, शहडौल का आदेश दिनांक 11-3-16 एंव आदेश दिनांक 28-4-16 हस्तक्षेप योग्य नहीं है। अपील इसी—स्तर पर अमान्य की जाती है।</p>	